

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक एफ1(111)पीएस/निकाशि/14/पार्ट/194

दिनांक : 30/5/19

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1597 दिनांक 08.02.19, 1598 दिनांक 08.02.19, 1599 दिनांक 11.02.19, 1500 दिनांक 15.02.19, 1501 दिनांक 15.02.19, 1502 दिनांक 19.02.19, 1503 दिनांक 20.02.19, 1504 दिनांक 21.02.19, 123 दिनांक 26.02.19, 2559 दिनांक 12.02.19 एवं 68 दिनांक 08.02.19 द्वारा कार्यव्यवस्थार्थ लगाये कार्मिकों को इस कार्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यमुक्त करें।


इस हेतु सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।


30/5/19

संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेबसाईट- आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित प्राचार्य।
4. संबंधित कार्मिक।
5. स्थापना शाखा।
6. रक्षित पत्रावली।


30/5/19

संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।